न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 153 सन 2016
अनवान :–

1. रोहिताश पुत्र बनवारीलाल जाति साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री बनवारीलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. पार्वती पुत्री बनवारीलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र नानू जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. हीरलाल पुत्र नानू जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. समेस्ता पत्नी हीरालाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
श्री विजयसिह अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20/12/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मोजा चक 5 केएनएन की कुल 84.00 बीधा भूमि थी जिसमें रामचन्द्र , नानू पि0 गोधु खातेदार काश्तकार थे नानू के दो पुत्र बनवारीलाल , फुसारमा हुए बनवारीलाल व फुसाराम ने अपनी कृषी भूमि का खाता व लगान अलग अलग करने पर प्रतिवादी संख्या 1 बनवारीलाल को रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 82/74 के प0न0 343/370(39) के किला न0 20/0.2530 ,21/0.2530 ,24/0.2530 ,कुल 0.759हैक्‍ व प0न0 342/371(47) के किला न0 2/0.227 ,3/0.227 ,4/0.227 ,5/0.2020 ,6/0.228 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/.2530 ,12 ता 15 प्रत्येक 0.2530 ,कुल 3.1090हैक्‍ व प0न0 343/371(48) के किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.2530कुल 1.2650हैक्‍ प0न0 0 मु0न0 66/8 किला न0 1 की 0.1780हैक्‍ गै0मु0खाला कुल 5.3110हैक्‍ भूमि हिस्से में आई थी

रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 82/14 की कुल 5.3110हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतोर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई थी जो मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसमें वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 का जन्म से ही प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी से परिवारिक कारणों से नाराज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के असर में है तथा वादीगण के हक हिस्सा खत्म करने के लिये प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी पत्नी समेस्ता के नाम 1.6450हैक्‍ भूमि का दान पत्र तस्दीक करवा लिया हे शेष भूमि का रहन बेय करने पर उतारू है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा की भूमि को बैय कर चुका है इसलिये वादीगण अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है वाद भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उसके हक हिस्सा की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है वादी को उसके हिस्से की भूमि से महरूम करने के लिए अन्तरित कर सकता है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द करवाने के अधिकारी है

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 5 केएनएएन के खाता संख्या 82/14 की कुल 5.3110हैक्‍ भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 वाद भूमि के किसी भी श्रेणी के काश्तकार नही है ना ही वाद भूमि कभी कब्जा में रही है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे करवाये गये दानपत्र को खारिज करवाने का दावा सिविल न्यायालय में पेश रखा है यह वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है वादी को दावा लाने की अधिकारीता नही है ना ही वादकरण हासिल है

प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी जीवनकाल में अपनी वादभूमि का दानपत्र करवाने का कानूनन अधिकार था प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को करवाया गया दानपत्र साधिकार है तथा दानपत्र के आधार पर वादगस्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार दानपत्र को खारिज करवाई बैगर राजस्व न्यायालय से वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वाद वादी इस्तदुआ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा करवाये गये प्रतिवादी संख्या 3 के दानपत्र को शुन्य करवाये बैगर नही दी जा सकती है तथा दानपत्र शुन्य करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है वादी ने यह दावा प्रतिवादी संख्या 1 को हैरान परेशान करने के लिये पेश किया गया है वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादीगण के वाद व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के जबाब दावा के आधार पर तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों के साक्ष्य लिये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 5 केएनएन की कुल 84.00 बीधा भूमि थी जिसमें रामचन्द्र , नानू पि0 गोधु खातेदार काश्तकार थे नानू के दो पुत्र बनवारीलाल , फुसारमा हुए बनवारीलाल व फुसाराम ने अपनी कृषी भूमि का खाता व लगान अलग अलग करने पर प्रतिवादी संख्या 1 बनवारीलाल को रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 82/74 के प0न0 343/370(39) के किला न0 20/0.2530 ,21/0.2530 ,24/0.2530 ,कुल 0.759हैक्‍ व प0न0 342/371(47) के किला न0 2/0.227 ,3/0.227 ,4/0.227 ,5/0.2020 ,6/0. 228 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/.2530 ,12 ता 15 प्रत्येक 0.2530 ,कुल 3. 1090हैक्‍ व प0न0 343/371(48) के किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.2530कुल 1.2650हैक्‍ प0न0 0 मु0न0 66/8 किला न0 1 की 0.1780हैक्‍ गै0मु0खाला कुल 5.3110हैक्‍ भूमि हिस्से में आई थी

रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 82/14 की कुल 5.3110हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतोर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई थी जो मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसमें वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 का जन्म से ही प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी से परिवा[illegible] से नाराज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के असर में है तथा वादीग[illegible] प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी पत्नी समेस्ता के नाम 1.64[illegible]पत्र तस्दीक करवा लिया हे शेष भूमि का रहन बेय करने पर उतारू है तथा प्रतिवादी [illegible]या 1 अपने हक हिस्सा की भूमि को बैय कर चुका है इसलिये वादीगण अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है वाद भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का नाम कलमजन करवाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे करवाये गये दानपत्र को खारिज करवाने का दावा सिविल न्यायालय में पेश रखा है यह वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है वादी को दावा लाने की अधिकारीता नही है ना ही वादकरण हासिल है

प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी जीवनकाल में अपनी वादभूमि का दानपत्र करवाने का कानूनन अधिकार था प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को करवाया गया दानपत्र साधिकार है तथा दानपत्र के आधार पर वादगस्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार दानपत्र को खारिज करवाई बैगर राजस्व न्यायालय से वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वाद वादी इस्तदुआ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा करवाये गये प्रतिवादी संख्या 3 के दानपत्र को शुन्य करवाये बैगर नही दी जा सकती है तथा दानपत्र शुन्य करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है

वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में करवाये गये दानपत्र को खारिज करवाने का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था माननीय न्यायालय ने दिनांक 04.11.2022 को निर्णय पारित किया जाकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया अर्थात माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 समेस्ता के पक्ष में करवाये गये दानपत्र को सही व साधिकार माना गया है जो आदिनांक तक प्रभावी है जब तक माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एव दानपत्र. प्रभावी है तब तक वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है साथ ही वादी संख्या 2 सिलोचना ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर सिविल न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज करने का अनुतोष भी किया जा चुका है वादीगण का वाद दानपत्र प्रभावी होने के कारण चलने योगय नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार तनकीवार निर्णय निम्नप्रकार से है:—

1. **आया कि घोषणा की जावे की रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 82/14 की कुल 5.3110हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज किया जावे।?**

तनकी न0 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने अपनी तनकी के समर्थन में पर्चा खतोनी नानू पुत्र गोधु की एव वर्तमान जमाबन्दी की प्रति पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का बेचान किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है की धोषणा करवाने का अधिकारी है।

प्रतिवादीगण को कथन है कि वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में दानपत्र करवाया गया है जिसे सिविल न्यायालय ने बैध व साधिकार माना गया है इसलिये दानपत्र व सिविल न्यायालय का निर्णय प्रभावी रहने तक वादीगण कोई अनुतोष इस न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकार नही है वादीगण का वाद खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार वादीगण का कथन स्वीकार योग्य नही है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कथन स्वीकार योग्य है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार नानूराम वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था नानूराम ने अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत अपने दो पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 व फुसाराम के पक्ष में करवाई गई थी वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व फुसाराम राजस्व रिकार्ड में बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हो गये प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में दानपत्र करवाया गया था जिसे खारिज करवाने के लिये वादीगण ने सिविल न्यायालय में वाद पेश किया गया माननीय सिविल न्यायालय ने वादीगण के वाद को खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किये गये दानपत्र को वैध साधिकार माना गया है वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कलमजन करवाया जाकर अपने नाम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो दानपत्र एव सिविल न्यायायलय का निर्णय प्रभावी रहने तक किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है

अतः तनकी न0 1 सिविल न्यायालय के निर्णय व दानपत्र प्रभावी रहने तक किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही होने के कारण वादीगण के विरूद्व एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में तय की जाती है।

2. **आया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है व वाद भूमि रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ही करे**

तनकी न 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था तनकी न0 1 में साबित हो चुका है कि जब तक सिविल न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.11.2022 व दानपत्र प्रभावी है तब तक वादीगण वाद भूमि में किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है साथ प्रतिवादी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है बिना किसी ठोस आधार के किसी भी खातेदार काश्तकार का पाबन्द नही किया जा सकता है अर्थात वादीगण प्रतिवादी संख्ख्या 1 को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है अतः तनकी न0 2 वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

3. **आया कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एव प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में करवाये गये दानपत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार है वादी वाद भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है**

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने दानपत्र एव सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.11.2022 की प्रति पेश की गई जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 जो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 समेस्ता के पक्ष में दानपत्र करवाया गया था उक्त दानपत्र को खारिज करवाने के लिये वादीगण ने सिविल न्यायालय में वाद पेश किया सिविल न्यायालय ने दिनांक 04.11.2022 को निर्णय पारित किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाकर दानपत्र को बेय व साधिकार माना गया है जिसे वादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाने का प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में पेश किया गया है अर्थात जब तक दानपत्र व सिविल न्यायालय का निर्णय प्रथावी है वादीगण किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही हो सकते है ना ही वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष इस न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी है अतः सिविल न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.11.2022 व दानपत्र प्रभावी होने के कारण यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 [illegible] तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:06 IST
Reason: SelfAttested

4. **आया कि वाद भूमि [illegible] संख्या 3 के पक्ष में करवाये गये दानपत्र को [illegible] वाद सिविल न्यायालय मे विचाराधीन है इसलिये राजस्व न्यायालय में च[illegible] योग्य नही है ना ही दानपत्र को शुन्य करवाने का वाद इस न्यायालय में चल सकता है।**

[illegible] अधिकारी
नोहर

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में करवाये गये दानपत्र को खारिज करवाने का वाद वादीगण ने सिविल न्यायालय में पेश किया गया था जिसे माननीय न्यायालय ने दिनांक 04.11.2022 को खारिज कर दानपत्र को बैध व साधिकार माना गया है सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.11.2022 व दानपत्र प्रभावी होने के कारण वाद इस न्यायायलय में चलने योग्य नही है अतः तनकी न0 4 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में व वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार नानूराम जो राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था ने अपनी स्वैच्छा से अपने दोनो पुत्रो प्रतिवादी संख्या 1 बनवारीलाल व फुसाराम के पक्ष में दिनांक 11.02.1998 को वसीयत करवाई गई थी जो उप पंजीयक कार्यलय से पंजीबद्व है वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व फुसाराम राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज हुए जिन्होने खाता विभाजन करवाने पर प्रतिवादी संख्या 1 बनवारीलाल रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 82/14 की कुल 5.3110हैक भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में दानपत्र करवा दिया वादीगण ने उक्त दानपत्र को खारिज करवाने का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया माननीय सिविल न्यायालय ने दिनांक 04.11.2022 को निर्णय पारित किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे करवाये गये दानपत्र को बेय व साधिकार माना गया जब तक सिविल न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.11.2022 व दानपत्र प्रभावी है तक तक वादीगण वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी नही है ना ही किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सिविल न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.11.2022 व दानपत्र प्रभावी होने के कारण वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता हैव्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रोहिताश पुत्र बनवारीलाल जाति साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2 सिलोचना पुत्री बनवारीलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3 पार्वती पुत्री बनवारीलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र नानू जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2 हीरलाल पुत्र नानू जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3 समेस्ता पत्नी हीरालाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 153 सन 2016 निर्णय दिनांक– 20/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तथां पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:06 IST
Reason: SelfAttested